क्रम-संख्या—12

रीज0 नं0 एल0डब्ल्0/एल0पी0 890

लाइसेन्स नं0 डब्ल्0पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 11 जनवरी, 2000

पौष 21, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 115/जसह-वि-1—1 (क) 40-1999

लखनऊ, 11 जनवरी, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 10 जनवरी, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह 5 नवम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या 28 सन् 1979 में नई धारा 3-ख और 3-ग का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3-क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

फिल्म विकास के लिये अतिरिक्त प्रभार

"3-ख—(1) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी सिनेमा का मालिक ऐसे सिनेमा में किसी आमोद में प्रवेश के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति से फिल्म के विकास के लिये पचास पैसे का अतिरिक्त प्रभार वसूल करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन वसूल की गयी समस्त धनराशि ऐसी रीति से ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के पास, जैसी विहित की जाय, जमा की जायगी ।

निधि

3-ग—(1) एक निधि स्थापित की जायगी, जिसे फिल्म विकास निधि कहा जायगा, जिसमें धारा 3-ख के अधीन वसूल किये गये समस्त अतिरिक्त प्रभार जमा किये जायेंगे ।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायगा, अर्थात् :—

(क) फिल्मों का वित्त पोषण करने के लिए;

(ख) क्षेत्रीय फिल्मों को आर्थिक सहायता देने के लिए;

(ग) फिल्मों के लिए अवस्थापना का विकास करने के लिए;

(घ) फिल्म विकास परिषद् की स्थापना करने के लिए;

(ङ) पुरस्कार और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए;

(च) फिल्म समारोह का आयोजन करने के लिए;

(छ) उपस्कर क्रय करने के लिए; या

(ज) फिल्मों के विकास से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए ।"

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 1999

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव ।

No. 115 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-40-1999
Dated Lucknow, January 11, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Amod Aur Pankar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 10, 2000.

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. ACT No. 3 OF 2000)

[*As Passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 5, 1999.

(147)

Insertion of new sections 3-B and 3-C of U. P. Act no. 28 of 1979

2. *After* section 3-A of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979, hereinafter referred to as the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :—

"3-*B* (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the proprietor of a cinema shall realise from the person making payment for admission to an entertainment in such cinema, an extra charge of fifty paise for Film Development.

Extra-charges for Film Development

(2) All moneys realised under sub-section (1) shall be deposited with such officer or authority in such manner as may be prescribed.

3-*C* (1) There shall be established a fund to be known as "Film Development Fund" to which shall be credited all extra charges realised under section 3-*B*.

Fund

(2) The Fund shall be utilized for the following purposes namely:—

(*a*) to finance films;

(*b*) to provide subsidy to regional films;

(*c*) to develop infrastructure for films;

(*d*) to establish Film Development Board;

(*e*) to give awards and scholarships;

(*f*) to organise film festivals;

(*g*) to purchase equipments; or

(*h*) any other purpose connected with the development of films."

Repeal and savings

U. P. Ordinance no. 22 of 1999

3. (1) The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 246 सा० विधा०—(1819)—2000—850 (मैक०)।